हर इंसान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website :www.samtaandolan.co.in Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अशोक कुमार सिंह
संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 098290-[illegible]

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौरड़िया
महासचिव , मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के.झामड़
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
मो. 9414085447

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक 51617 दिनांक : 26.08.2020

श्रीमान अशोक गहलोत साहब,
मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार,
जयपुर।

★ महिला समानता दिवस की बधाई ★

विषयः—महिला सशक्तिरण करने के लिए आधी दरों में पाँच लाख से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने बाबत।

संदर्भः— महिला समानता दिवस दिनांक 26अगस्त,2020 के उपलब्क्ष में "महारानी लक्ष्मीबाई कामकाजी महिला सशक्तिकरण योजना" का प्रस्ताव।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि आज महिला समानता दिवस के अवसर पर समता आन्दोलन के द्वारा आपसे कामकाजी महिलाओं की दुर्दशा सुधारने और उनकी कार्य कुशलता बढ़ाने में मदद करने के लिए आग्रह किया जा रहा है। आप यह भलीभॉति जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में आज भी पुरूष—प्रधान समाज है। इसी कारण कामकाजी महिलाओं से उनके कार्यालयिक कार्य के अलावा प्रत्यके घर में घरेलू कार्य की भी अपेक्षा की जाती हैं। परिणामतः लगभग सभी कामकाजी महिलाएं अतिरिक्त दबाव, तनाव और थकान भरा जीवन जीने को मजबूर होती हैं। लगातार दबाव, तनाव, थकान की जिन्दगी में माँ, पत्नी, बहू, बेटी और बहन की जिम्मेदारी निभाते हुए कामकाजी महिलाएं आमतौर पर रक्तचाप, सुगर, हार्ट ,कमरदर्द,घुटनादर्द, डिप्रेशन आदि अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाती हैं।इन सभी का दुष्प्रभाव सामान्यतया घरेलू झगड़ों,वाद—विवाद,परिवारों के टूटने,तलाकों की संख्या बढ़ने,कार्यालयिक कार्य कुशलता घटने, बच्चों के संस्कारहीन होने,सास—सुसर का वृद्धाश्रम गमन आदि अनेक सामाजिक, आर्थिक या परिवारिक बुराइयों के बढ़ने में प्रकटतः देखा जा रहा हैं। दुर्भाग्य से पुरूष—प्रधान समाज और प्राचीन भारतीय संस्कृति की पुरानी परम्परा के चलते कामकाजी महिलाओं की इस दुर्दशा को सहजता से लिया जाता हैं। किसी भी सरकार द्वारा कामकाजी महिलाओं की उपरोक्त समस्याओं पर कोई सर्वेक्षण या अध्ययन नहीं करवाया गया हैं।

उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुए समता आन्दोलन के द्वारा देश/प्रदेश की आधी आबादी को देश—निर्माण में आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली कामकाजी महिलाओं के जीवन स्तर, कार्य—कुशलता, स्वास्थ्य, सामाजिक स्तर और समानता के अधिकार में सारभूत सुधार के लिए आपसे प्रार्थना की जाती है कि एक कानून बनाकर कामकाजी महिलाओं के घरों में घरेलू कार्य के लिए एक घरेलू नौकर रखा जाना अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसके लिए निम्न प्रावधान किये जा सकते हैं:—

1. घरेलू नौकर कामकाजी महिलाओं के घर में रखा जाना कानूनन अनिवार्य होना चाहिए।नहीं रखने वालों पर दण्ड का विधान हो।
2. घरेलू नौकर का वेतन अकुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी के बराबर हो जो इस समय लगभग दस हजार पांच सौ रूपये है।

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय : जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website :www.samtaandolan.co.in Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति) | माननीय श्री अशोक कुमार सिंह संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल) | माननीय श्री भागीरथ शर्मा संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 098290-[illegible]

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौरड़िया
महासचिव , मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के.झामड़
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
मो. 9414085447

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक (2) दिनांक :

3. उपरोक्त मजदूरी/वेतन का भुगतान पचास प्रतिशत सरकार के द्वारा, पच्चीस प्रतिशत कामकाजी महिला के वेतन से कटौती करके तथा पच्चीस प्रतिशत कामकाजी महिला के पति के वेतन/व्यवसायिक आय से कटौती करके भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाये। जहां पति कोई नौकरी या व्यवसाय नहीं करता हो वहां साठ प्रतिशत सरकार द्वारा वहन किया जाये और चालीस प्रतिशत हिस्सा काम काजी महिला के वेतन से कटौती करके दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।
4. घरेलू नौकर के काम का समय सामान्यतया सुबह सात बजे से ग्याहर बजे तक और शाम को चार बजे से आठ बजे तक तय किया जावे।
5. इन घरेलू नौकरों का रिकार्ड सरकारी स्तर पर सत्यापित करके संधारित किया जाना सुनिश्चित हो।
6. उपरोक्त घरेलू नौकरों की नियुक्ति निजी ठेकेदारों की मार्फत अनुबन्ध पर भी की जा सकती है। अन्य सेवाशर्तें सरकार अपने स्तर पर निधारित कर सकती हैं।

श्रीमान यदि उपरोक्त योजना पर कार्य किया जाता है तो राजस्थान राज्य में राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं निजी क्षेत्र की अनुमानित पांच लाख कामकाजी महिलाओं की संख्या मानते हुए राज्य में आधे खर्चे पर पांच लाख से अधिक अकुशल कामकारों के लिए रोजगार का निर्माण तत्काल किया जा सकता है।धनराशि का प्रबन्ध भी मनरेगा योजना की राशि से किया जा सकता हैं।कामकाजी महिलाओं के जीवन–स्तर में उल्लेखनीय सुधार लाकर समानता का अधिकार दिलवाने की दिशा में सशक्त प्रयास हो सकता है। टूटते परिवार बच सकते है, तलाकों की संख्या कम हो सकती है, पूरे परिवार को खुशहाली मिल सकती है। प्रदेश में आधी कीमत पर पांच लाख से अधिक स्थायी रोजगारों का निर्माण करके आर्थिक समृद्धि को बढाया जा सकता है, कामकाजी महिलाओं के स्वास्थ्य एवं कार्यकुशलता में उल्लेखनीय सुधार लाया जा सकता है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विस्वास है कि आप राष्ट्रनिर्माण एवं मानवीय दृष्टिकोण के साथ महिलाओं को सशक्त करने की उपरोक्त योजना के अनुसार कार्यवाही करके कामकाजी महिलाओं को ''महारानीलक्ष्मीबाई महिला सशक्तिकरण योजना'' का अनुपम उपहार देंगे।त्वरित सकारात्मक कार्यवाही की अपेक्षा में अग्रिम धन्यवाद। सादर

भवदीय

(पाराशर नारायण)
अध्यक्ष

51618/ 51817

प्रतिलिपिः– सभी माननीय विधायकगण को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।